(60)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1948–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला धार, प्रकरण कमांक 9/अ–27/2015–16.

.....

अशोक पिता कांताप्रसाद शर्मा
निवासी ग्राम दिग्ठान तहसील
व जिला धार

..... आवेदक

विरूद्ध

रंजनाबाई पिता कांताप्रसाद शर्मा
निवासी ग्राम दिग्ठान तहसील
व जिला धार

.....अनावेदिका

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक– आवेदक
श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत उभयपक्ष के सह

स्वामित्व की भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ–27/2015–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर स्वत्व का प्रश्न उठाकर प्रकरण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 25–5–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त करते हुये प्रकरण साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने से तहसीलदार को व्यवहार न्यायालय से निराकरण हेतु कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर कार्यवाही स्थगित नहीं करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर तहसीलदार को कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी इसलिये तहसीलदार तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण बटवारे का प्रकरण है और उभयपक्ष आपस में भाई–बहन होकर सहखातेदार है इसलिये तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष बटवारा प्रकरण प्रचलित है और तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत स्वत्व का प्रश्न उठाया होने के कारण स्वत्व का प्रश्न निरस्त किया गया है । इस संबंध में तहसीलदार ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा स्वत्व का प्रश्न उठाया गया है और स्वत्व के निर्धारण के लिये आवेदक व्यवहार न्यायालय में जाने के लिये

स्वत्व है । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के साथ तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमित कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर